सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (रा

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण संख्या :– 23/2018

बउनवान

सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री दिनेश चन्द जैन पुत्र ज्ञानचन्द जैन उम्र 23 वर्ष जाति जैन निवासी वार्ड नं0 10 तेल फैक्ट्री झालावाड रोड बारॉ **(मौके पर मौजुद विक्रेता व मालिक)** मैसर्स जैन ब्रदर्स, तेल फैक्ट्री झालावाड रोड बारॉ

2– श्री गुलशन लाल डॅग पुत्र झन्डू राम डॅग निवासी कृष्णा कॉलोनी बारॉ। मैसर्स गुलशन लाल, राधेश्याम, हॉस्पिटल रोड बारॉ

3– श्री सिद्वार्थ जैन पुत्र महावीर जैन निवासी बक्सी धर्मशाला के पास मटकरी कॉलोनी, गुना जिला गुना मध्य प्रदेश (**मालिक**) मैसर्स वेलकम फूड प्रोडक्टस् इण्ड0 सरकारी स्कूल के पास कुशमोडा जिला गुना (मध्य प्रदेश)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित क्र. 1 ता 3 (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 21.2.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 7.12.2017 को मैसर्स जैन ब्रदर्स, तेल फैक्ट्री झालावाड रोड बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री दिनेश चन्द जैन पुत्र ज्ञानचन्द जैन विक्रेता व मालिक की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 7.12.2017 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **पोहा (मदर्स प्राईड) 01 कि0ग्रा0** पैकिट मे विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। उक्त **पोहा (मदर्स प्राईड) 01 कि0ग्रा0** पैकिट मे मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। नमूना जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त **पोहा (मदर्स प्राईड) 01 कि0ग्रा0** के 04 मूल पैकिट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को 160/– रूपये श्री दिनेश चन्द जैन पुत्र ज्ञानचन्द जैन को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है।

आवेदक ने खरीदशुदा **पोहा (मदर्स प्राईड) 01 कि0ग्रा0** के 04 मूल पैकिट को चार भागो मे अलग–अलग कर प्लास्टिक के साफ सुखे स्वच्छ डिब्बो मे मूल ही भरकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–789 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना डिब्बो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना डिब्बे पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच. 789 नियमानुसार चारो नमूना डिब्बो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना डिब्बे पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमुना डिब्बो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना डिब्बो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/02 दिनांक 1.1.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 961/FSSA/Kota/Act/2017/995 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **पोहा (मदर्स प्राईड) 01 कि0ग्रा0** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(Zf)(C)(।) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया।

उक्त केस मे अप्रार्थीगण ने मिथ्याछाप (Mis Branded) खाद्य पदार्थ पोहा (मदर्स प्राईड) 01 कि0ग्रा0 का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण से नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र की एवं दस्तावेजो की सूचना चाही गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल, जी. एस.टी., आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 15.10.2018 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नही कर प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ पोहा (मदर्स प्राईड) 01 कि0ग्रा0 का विक्रय किया जा रहा था वह जॉच मे मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः अप्रार्थीगण को धारा 52 के तहत भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा कहा गया कि खाद्य पदार्थ पोहा (मदर्स प्राईड) 01 कि0ग्रा0 मे हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नही की गई है, वह जॉच मे सही पाया गया है। उक्त पैकिंग पर हमारे द्वारा छाप भी सही अंकित की गई थी। किन्तु पैकिट के ऊपर पैकिट रखने के कारण छाप मिट जाने से उक्त पैकिंग मिथ्याछाप होना पाया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 961/FSSA/Kota/Act/2017/995 दिनांक 21.12.2017 के बाद अप्रार्थीगण को एक माह का समय उक्त खाद्य पदार्थ पोहा (मदर्स प्राईड) 01 कि0ग्रा0 की पुनः जॉच करवाने हेतु दिया गया था। किन्तु उनके द्वारा पुनः जॉच नही करवायी गयी है।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा गया, खाद्य पदार्थ **पोहा (मदर्स प्राईड) 01 कि0ग्रा0 पैकिट** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 प्रत्येक को धारा 52 के तहत 5000/–रूपये, 5000/– रूपये कुल जुर्माना राशि 15000/–रूपये (अ़क्षरे पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 1.4.2019 के बाद मिथ्याछाप पोहा (मदर्स प्राईड) विक्रय हेतु मार्केट मे नही रखा जावे। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 21.2.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)